सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–02 **मंगलवार, दिनांक–22 जुलाई, 2025 ई०।**

माननीय अध्यक्ष, श्री नन्द किशोर यादव की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11.00 बजे पूर्वा० से 11:21 बजे पूर्वा० तक

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी मांग को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये।

आसन द्वारा कहा गया कि अभी प्रश्नकाल है, इसे बाधित नहीं किया जाए तथा आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपनी सूचना सही समय पर उठाने एवं अपने–अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया गया।

(1) <u>प्रश्नकाल</u> :–

(i) 02 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।

(ii) 01 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ।

(iii) 05 तारांकित प्रश्न उत्तरित।

(iv) 08 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।

(v) 120 तारांकित प्रश्न अनागत।

प्रश्नकाल के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यगण से अनुरोध किया गया कि – मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूँ । पहले आप माननीय सदस्य को अपनी सीट पर बैठाइए । मैं अनुमति दे रहा हूँ । सदन अनुमति दे राह है बोलने के लिए आप को लेकिन आप नहीं बोलना चाहते है । कृपया आप अपने–अपने स्थान पर बैठ जाए और प्रश्न काल होने दे । परंतु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी एवं सदन भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुआ।

<u>भोजनावकाश के बाद</u>

(02.00 बजे अपराह्न से 2:30 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

(2) <u>विधायी कार्य</u> :–राजकीय विधेयक

कार्यवाही आंरभ होते है सदन के अनुमति से माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सदन के समक्ष अपनी मांग को रखा । माननीय अध्यक्ष महोदय ने लिस्टेड बिजनेस पूरा होने देने की बात कही ।

(i) बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2025

माननीय मंत्री विधि विभाग श्री मंगल पाण्डेय द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी मांगों को लेकर शोरगुल करने लगे । माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनसे आज के सूचीबद्ध विधायी कार्या का पूरा होने देने का आग्रह किया ।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव ; माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव तथा माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त "बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, 2025" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(ii) बिहार माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2025

माननीय मंत्री वाणिज्य–कर विभाग श्री सम्राट चौधरी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त "बिहार माल और सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2025" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(iii) बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025

माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग श्री जिवेश कुमार द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव ; माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव ; माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव तथा माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त "बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(iv) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2025

माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री संजय सरावगी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव ; माननीय सदस्य द्वारा श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव ; माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव ; माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव तथा माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त "बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) विधेयक, 2025" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(v) बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2025

माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री संजय सरावगी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव ; माननीय सदस्य द्वारा श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव ; माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव तथा माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त "बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2025" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(vi) बिहार भूमिगत पाईप लाइन (भूमि में उपयोग–कर्त्ता के अधिकार का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2025

माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री संजय सरावगी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव ; माननीय सदस्य द्वारा श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव ; माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव ; माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव तथा माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी–बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त "बिहार भूमिगत पाईप लाइन (भूमि में उपयोग–कर्त्ता के अधिकार का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2025" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(3) सभा मेज पर कागजात का रखा जानाः–

1. माननीय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा बिहार राज्य उड्डयन प्रशिक्षण संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025 एवं बिहार राज्य वायुयान संगठन संवर्ग भर्ती नियमावली, 2025 की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये । आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्य को अपने–अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया गया परंतु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक–23 जुलाई, 2025 तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक–22.07.2025

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।